रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112025-267410
CG-DL-E-06112025-267410

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 736] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/ कार्तिक 15, 1947
No. 736] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/ KARTIKA 15, 1947

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 822(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण ('वंदे मातरम्' के 150 वर्षों का स्मरणोत्सव के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्के का मूल्यवर्ग.**— 'वंदे मातरम्' के 150 वर्षों के अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए एक सौ पचास रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी किये जाने के लिए टकसाल में ढाला जाएगा ।

3. **सिक्के की विमाएं और संरचना -** नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग का सिक्का, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होगा,अर्थात्:-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पचास रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	निकिल चांदी तांबा- 60 प्रतिशत निकिल - 20 प्रतिशत जस्ता - 20 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन –** सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. **मानक वजन और अनुज्ञात उपचार** – 'वंदे मातरम्' के 150 वर्षों के अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्य वर्ग के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची

[नियम 4 देखें]

एक सौ पचास रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में **"INDIA"** शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक **"₹"** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"150"** भी होगा ।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का चित्र होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण लेख **" 'वंदे मातरम्' के 150 वर्षों का स्मरणोत्सव"** लिखा होगा और सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में उत्कीर्ण लेख **"COMMEMORATION OF 150 YEARS OF 'VANDE MATARAM'"** अंकित होगा। चित्र के बाईं ओर अंतर्राष्ट्रीय अंको में वर्ष **"1875"** और चित्र के दाईं ओर अंतर्राष्ट्रीय अंको में वर्ष **"2025"** उत्कीर्ण होगा।

दूसरी अनुसूची

[नियम 5 देखें]

सिक्के का मूल्य वर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पचास रुपये	32 ग्राम	तांबे, निकिल और जस्ते के लिए 1/100वें हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात तांबे का अंश 59 % से 61 % तथा जस्ता और निकिल का अंश 19 % से 21 % तक हो सकता है।	1/40वें हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् वजन 31.2 ग्राम से 32.8 ग्राम तक हो सकता है।

[फा.सं. 02/43/2025-सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2025

G.S.R. 822(E).—— Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of commemoration of 150 years of 'Vande Mataram') Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin**.**—** The coin of One Hundred Fifty Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of One Hundred Fifty years of 'Vande Mataram'.

3. **Dimension and composition of coin.—** The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Fifty Rupees	Circular 44 millimeters	200	Nickel- Silver Copper - 60 per cent. Nickel - 20 per cent. Zinc - 20 per cent.

4. **Design.—** The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.—** The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 to commemorate the occasion of One Hundred Fifty years of 'Vande Mataram' and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

FIRST SCHEDULE

[See rule 4]

ONE HUNDRED FIFTY RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend **"सत्यमेव जयते"** inscribed below, flanked on the left periphery with the word **"भारत"** in Devanagari script and on the right periphery with the word "**INDIA**" in English. It shall also bear the Rupee symbol "**₹**" and denominational value "**150**" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the image of British soldiers and Indian freedom fighters in the centre of the coin. The inscription **" 'वंदे मातरम्' के 150 वर्षों का स्मरणोत्सव"** shall be written in Devanagari script on the upper periphery of the coin and the inscription "**COMMEMORATION OF 150 YEARS OF 'VANDE MATARAM'"** in English shall be depicted on the lower periphery of the coin. The year "**1875**" in international numerals shall be inscribed on the left side of the image and the year "**2025**" in international numerals shall be inscribed on the right side of the image.

SECOND SCHEDULE

[See rule 5]

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Fifty Rupees	32 Grams	$1/100^{th}$ plus or minus for Copper, Nickel and Zinc, that is to say, Copper content could vary from 59% to 61% and Zinc and Nickel content could vary from 19% to 21%	1/40th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 31.2 grams to 32.8 grams.

[F. No. 02/43/2025-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.11.06 22:55:59 +05'30'